

र च  
नाम  
की  
जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

संख्या- 18/24 प्रा.पत्र

गौम 5/031 लखदा तलाई निवासी- तलाईखेडा तहसील- माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

श्री 5/031 लालु लखदा निवासी- तलाईखेडा तहसील माण्डल (कोटा)  
(मुस्ताकिल गाविस)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19-3-24


:: आदेश ::

गौर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन नाम लोडारी खेडा पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते खाते की आराजी न0 387, 388, 407 कुल किता 03 रकबा 0-5059 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की रगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

II पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो ! नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

ना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लोडारी खेडा पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की 387, 388, 407 कुल किता 03 रकबा 0-5059 हैक्टेयर तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500-1 रुपये /- पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी मै मोकें व कब्जे की यस्थास्थिति को डुर मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

सीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
माण्डल